कार्यालय– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान– उरई।

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

मा0 अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस जनपद के समस्त सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987" की धारा–12 के अन्तर्गत पात्र वादकारियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की "निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता योजना" के अन्तर्गत जिला मुख्यालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) एवं समस्त तहसील उरई, कोंच, कालपी, जालौन और माधौगढ़ में निर्धारित मानकों के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया जाना है। इस हेतु जिला मुख्यालय /जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर पर 10 और तहसील स्तर पर 05–05 पैनल अधिवक्ताओं का चयन आगामी तीन वर्ष हेतु किया जाना है, जो उनका कार्य संतोषजनक न होने पर निर्धारित अवधि के पूर्व भी समाप्त हो सकता है।

इन पदों की अर्हता निम्नांकित है :–

1– सिविल, दांडिक, सांविधानिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि अथवा वैवाहिक विवाह आदि के मामलों की पैरवी का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव एवं निरन्तर विधि व्यवसाय में कार्यरत स्वच्छ छवि के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को पात्र माना जायेगा।

2– ऐसे अधिवक्ताओं को वरीयता दी जायेगी जो विधिक सेवाओं, योजनाओं, विधिक कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं आयोजन इत्यादि में रूचि रखते हों तथा निःशुल्क विधिक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हों।

उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले स्वच्छ छवि के अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं, जो जनपद दीवानी न्यायालय, जालौन की आधिकारिक वेबसाइट **districts.ecourts.gov.in/jalaun** पर देखा जा सकता है। इच्छुक अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन–पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के कार्यालय में या इसकी अधिकृत मेल–आईडी **dlsajalaun@gmail.com** या जिला दीवानी न्यायालय, जालौन की अधिकृत मेल–आईडी **dcjal@allahabadhighcourt.in** पर दिनांक– 15.02.2021 तक सायंकाल 05:00 बजे के पूर्व जमा करना होगा। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त करने अथवा चयन के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

दिनांक– 28 .01.2021

प्रभारी सचिव/
सिविल जज (सी.डि)

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ उरई एवं समस्त तहसील बार संघ अन्तर्गत जिला जालौन।
3. जिला सूचना अधिकारी, जालौन को समस्त समाचार–पत्रों में न्यूज–आइटम के रूप में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. जिला दीवानी न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलैक्ट्रेट जालौन एवं जिला अधिवक्ता संघ जालौन के सूचना बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, जालौन को उपरोक्त सूचना को जिला दीवानी न्यायालय जालौन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

28.01.21

प्रभारी सचिव

प्रभारी सचिव/सिविल जज(सी0डि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन स्थान–उरई

आवेदन का प्रारूप।

अभ्यर्थी की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज स्वयं प्रमाणित फोटो

आवेदित पद का नाम...

1. अधिवक्ता का नाम (हिन्दी में)..
2. अधिवक्ता का नाम (अंग्रेजी में)..
3. पिता/पति का नाम...
4. जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)..
5. जाति...वर्ग..
6. अधिवक्ता का स्थायी पता (पिन कोड सहित)..

....

7. अधिवक्ता का वर्तमान पता (पिन कोड सहित)..

....

8. मोबाइल/टेलीफोन नम्बर/ई–मेल आईडी0 (अनिवार्य)...

....

9. पंजीयन संख्या.................................. सी0ओ0पी0 नं0 ....प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. <u>वकालत का प्रकार–</u> सिविल/आपराधिक/राजस्व/अन्य (टिक लगायें)
11. सामाजिक सेवा करने का प्रमाण–पत्र...
12. कोई विशेष योग्यता...
13. अन्य अनुभव...
14. कभी कोई एफ.आई.आर. पंजीकृत हुयी है या नहीं ? (यदि हां तो परिणाम का विवरण)

....

15. क्या किसी आपराधिक न्यायालय से दण्डित किये गये हैं ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण)

....

16. क्या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण)

....

17. <u>शैक्षिक योग्यता</u> –

क0सं0	योग्यता	बोर्ड/विश्व विद्यालय/संस्था का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत

दिनांक–
स्थान–

अधिवक्ता का पूर्ण हस्ताक्षर

उद्घोषणा पत्र

मैं..प्रमाणित करता /करती हूं कि उपरोक्त सूचनायें सत्य व सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं स्वैच्छिक रूप से वह समस्त विधिक कार्य करने को तैयार हूं, जो मुझे उक्त पद के दायित्व के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त/सूचित किये जायेंगे।

दिनांक–

अधिवक्ता का पूर्ण हस्ताक्षर